



Celebrating 250 glorious years of mapping the Nation

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

सर्वे शिला अभियान
परम पक्षे राम के

फोन / Phone: 27201181(EPABX), 27200430
टेलि -फैक्स / Tele-Fax: 27200430
ई-मेल/ E-mail: gisrs.soi@gov.in

भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय
GIS & REMOTE SENSING DIRECTORATE
उप्पल, हैदराबाद -500 039(टि.एस)
UPPAL, HYDERABAD – 500 039 (TS)

नेमी आदेश संख्या सी- 02 /37-जी-9/जी.आई.एस. एंव सु.सं. दिनांक 25 फरवरी, 2020
ROUTINE ORDER NO.C- /37-G-9/GIS & RS DATED 25TH FEBRUARY, 2020

I. अधीक्षक सर्वेक्षक (तदर्थ आधार पर) के पद पर पदोन्नति /

PROMOTION TO THE POST OF SUPERINTENDING SURVEYOR ON AD-HOC BASIS :-

निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षकों को वेतन मेट्रिक्स के स्तर 11 (प्री रिवाइज्ड पे बैंड रु. 15,600-39,100+ ग्रेड वेतन रु. 6600) में अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर विशुद्ध रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

The under mentioned Officer Surveyors are hereby promoted to the post of Superintending Surveyor in level 11 of the pay matrix (pre-revised in PB-03 of Rs. 15,600-39,100 + GP of Rs.6600), purely on Ad-hoc basis, for a period of one year, with effect from the date(s) as mentioned below against their name(s):-

Sl. No.	Name and Designation	Date of promotion as Superintending Surveyor (Ad-hoc)
1.	Shri Kanakapudi Prabhoji	18-02-2020 (A/N)
2.	Shri Deo Kumar Oraon	18-02-2020 (A/N)
3.	Shri M. Shankar	19-02-2020 (A/N)

(प्राधिकार: महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं0 सी-788/853-एस.एस. दिनांक 18-02-2020).

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक / सतर्कता मामला लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किया जाए।
The above orders will not be implemented in case of disciplinary/vigilance cases pending against the individuals.

3. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर वेतन मेट्रिक्स में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22 (1) (ए) (i) के तहत विकल्प देना होगा।

The above Officers will have to exercise an option under rule FR 22 (1) (a) (i) for fixation of their pay in level 11 of the pay matrix on account of their promotion.


4. उपरोक्त अधिकारियों का वेतन नियतन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त सन्निहित व्यय वित्तिय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The pay of the above Officers will be fixed by the Head of Office. The extra expenditure involved will be met from and within the sanctioned budget grant of this Directorate for the financial year 2019-2020 and debited to the appropriate head of account.

- : 2 :-

II. स्थानांतरण / तैनाती / TRANSFER / POSTING :-

Sl. No.	Name & Designation	From	To	Date	Authority
1.	Shri M. Shankar, Officer Surveyor	IIS & M, Hyderabad	GIS & RS Dte., Hyderabad	19-02-2020 (A/N)	S.G.O's letter No. C-788/853-S.S. dated 18-02-2020.


(सुनिल एस फतेहपुर)

कर्नल
उपमहासर्वक्षक, IIS&M एंव
निदेशक, GIS & RS Dte.
(अतिरिक्त प्रभार)

वितरण / DISTRIBUTION:

1. भारत के महासर्वक्षक, देहरादून ।
2. अपर महासर्वक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून ।
3. अपर महासर्वक्षक, भारतीय सर्वक्षण एंव मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद ।
4. निदेशक, आन्ध्र प्रदेश एंव तेलंगाना भू-स्थानोंकेन्द्र / दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद ।
5. प्रभारी, महाराष्ट्र एंव गोवा भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र (हैदराबाद विंग), हैदराबाद ।
6. क्षेत्रीय वेतन एंव लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वक्षण विभाग, हैदराबाद ।
7. आहरण अनुभाग 2 प्रतियों ।